



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  
INSURANCE REGULATORY AND  
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ : आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/ओआरडी/२०१५/११/२०१९  
Ref No. IRDAI/ INT/ CIR/ ORD/२०१५/ 11/ 2019

19 नवंबर, 2019  
19<sup>th</sup> November, 2019

सभी बीमा मध्यवर्ती / All Insurance Intermediaries

**विषय Re:**

- i) परिपत्र सं. आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/ओआरडी/208/11/2015 दिनांकित 20.11.2015 का हटाया जाना; तथा
- ii) परिपत्र सं. आईआरडीए/एफ & ए / जीडीएल /180/10/ 2015 दिनांकित 19.10.2015 के पैरा 6 का विलोपन।  
भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित।

- i) Withdrawal of circular no. IRDA/ INT/ CIR/ ORD/ 208/11/ 2015 dt 20.11.2015;  
and
- ii) Deletion of para 6 of circular no IRDA/ F&A/ GDL/ 180/ 10/2015 dt 19.10.2015  
pertaining to Indian owned and controlled


भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी विनिधान) संशोधन नियम, 2019 और आईआरडीएआई (बीमा मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2019 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, यह देखा गया है कि परिपत्र आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/ओआरडी/208/11/2015 दिनांकित 20.11.2015 अनावश्यक हो गया है। इसी तरह, परिपत्र सं. आईआरडीए/एफ & ए / जीडीएल /180/10/ 2015 दिनांकित 19.10.2015 के पैरा 6 भी अनावश्यक हो गए हैं। इसलिए, प्राधिकरण, आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:

- i) परिपत्र सं. आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/ओआरडी/208/11/2015 दिनांकित 20.11.2015 को हटाता है।
- ii) परिपत्र सं. आईआरडीए/एफ & ए / जीडीएल /180/10/ 2015 दिनांकित 19.10.2015 के पैरा 6 का विलोपन करता है।

Consequent upon notification of Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment Rules, 2019 and IRDAI (Insurance Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2019, it is observed that the circular no. IRDA/ INT/ CIR/ ORD/ 208 11/ 2015 dt 20.11.2015 has become redundant. Similarly, para 6 of circular no IRDA/ F&A/

GDL/ 180/ 10 2015 dt 19.10.2015 has also become redundant. Therefore, the Authority in exercise of powers conferred under Section 14(1) of the IRDA Act, 1999, the Authority

- i) withdraws circular no. IRDA/ INT/ CIR/ ORD/ 208/ 11/ 2015 dt 20.11.2015
- ii) deletes para 6 of circular no IRDA/ F&A/ GDL/ 180/ 10 2015 dt 19.10.2015



(सुजय बनर्जी / Sujay Banarji)  
सदस्य (वितरण) / Member (Distribution)